न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 48/22 GCMS NO 2022/90

1. प्रभूलाल पुत्र गोपी
2. रामधन पुत्र गोपी
3. हीरालाल पुत्र गोपी
4. रामसहाय पुत्र गोपी
5. हंसा पुत्र गोपी जातियान मीना निवासीयान करेला तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. परसराम दत्तक पुत्र श्योराम उर्फ श्योपाल मीना निवासी करेला तहसील व जिला करौली
2. बदरी पुत्र मांग्या मीना
3. लडडू पुत्र श्योनारायण
4. पतासी पुत्री श्योनारायण
5. लोहडया पुत्र बाबूलाल
6. मुकेश पुत्र बाबूलाल
7. काडया पुत्र बाबूलाल
8. सावली बेवा बाबूलाल
9. उगन्ती पुत्री बाबूलाल
10. मुकेशी पुत्री बाबूलाल
11. तुलस्या पुत्र चतरू
12. चिरंजी पुत्र हरगोविन्द
13. रामस्वरूप पुत्र हरगोविन्द
14. शिवचरण पुत्र हरगोविन्द
15. जमना पुत्री हरगोविन्द
16. हरचंद पुत्र मांग्या
17. ग्याना पुत्र मोती
18. नानगा पुत्र मोती
19. देवकरण पुत्र माधो
20. रामजीलाल पुत्र माधो
21. अनिता पत्नि रघुवीर समस्त जातियान मीना निवासीयान ग्राम करेला तहसील व जिला सवाई माधोपुर
22. शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया सवाई माधोपुर
23. शाखा प्रबंधक आई डी बी आई बैंक मानटाउन त[illegible] जिला सवाई माधोपुर

रैस्पो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:06 IST
Reason: SelfAttested

(अपील विरूद्ध मु0नं0 44/18 निर्णय दिनांक 18.5.22 न्यायालय उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री गिर्राज सिह गुर्जर
अभिभाषक रैस्पो0 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

दिनांक 16.6.2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.5.22 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादीगण द्वारा दावा इस्तकरारहक एवं हुक्मइम्तनाई ,स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस मे दस पीढी से भाईबंध है। खाता संख्या 60 की आराजी ख0न0 146 रकबा 0.4300 चाही 3 एवं खसरा न0 186 रकबा 0.4900 चाही 3 कुल किता 2 कुल 0.9200 है0 वाके ग्राम करेला तहसील सवाई माधोपुर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है। जिसके वादीगण ख0न0 186 रकबा 0.49 है0 चाही 3 पूर्व खसरा न0 108 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा वादीगण की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त मे चली आ रही है जिसमे वादीगण ही आराजी ख0न0 186 रकबा 0.49 ऐयर पर काश्त करते लगान अदा करते चले आ रहे है एवं आराजी ख0न0 146 रकबा 0.4300 ऐयर पर प्रतिवादीगण की पैतृक है जो आज तक उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण ही काबिज काश्त कर लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। लेकिन राजस्व रिकार्ड मे गलती से समस्त दोनो आराजीयात की गलत खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम कर दी गई है जिसे वादीगण ख0न0 186 रकबा 0.49 ऐयर को वापिस दुरूस्त कराकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी है। सम्म 1988 मे उक्त खसरा न0 186 पूर्व ख0न0 108 एवं इससे पूर्व ख0न0 105 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा हाल 186 रकबा 0.49 ऐयर वादीगण के पितामह कल्याण वल्द औंकार जो कि हमारे वादीगण के पिता गोपी का पिता था की पर्चा दस साला सम्वत 1988 मे राहिन दर्ज खातेदार किया हुआ है जबकि प्रतिवादीगण का पिता जेलाल पुत्र ताराकी खातेदारी मे मुर्तहीन दर्ज है। लेकिन सेटलमेंट ने राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने के वक्त वादीगण के पिता गोपी पुत्र कल्याण के मुर्तहीन दर्ज कर दी एवं वाद मे मुर्तहीन हटाकर प्रतिवादीगण के खातेदारी दर्ज कर दी जो गलत है। यदि राहिन हटाया गया तो खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए जबकि मुर्तहीन के नाम कर दी इसलिए आराजी ख0न0 186 रकबा 0.49 ऐयर वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। जैसा कि सम्वत 2009 से 2021 एवं 2028 से 2029 एवं सम्वत 2031 से 2035 मे भी कब्जा गोपी पुत्र कल्लाण का ही बताया है। जो कि राजस्व रिकार्ड मे वादीगण की बजाय सेटलमेंट की गलती से प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज कर दिया । इस कारण वादीगण आराजी ख0न0 186 रकबा 0.49 ऐयर मे राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकांरी है। आराजी ख0न0 146 ही प्रतिवादीगण के नाम अंकन होना चाहिए। प्रतिवादीगण उक्त गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर वादीगण की उक्त आराजी को रहन एवं विक्रय करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐलानिया धमकी दी गई कि उक्त भूमि [illegible] करेगे एवं बेचान करेगे। इसलिए वादीगण का वाद पत्र इस अमर का डिक्री फरमाया जावे कि आराजी ख0न0 186 रकबा 0.4900 ऐयर बारानी 3 पूर्व ख0न0 105, 108 रकबा [illegible] ग्राम करेला वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है इस कारण वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे वादीगण का नाम बहैसियत खातेदार अंकन किया जावे एवं प्रतिवादीगगण का नाम हजफ किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त आराजी ख0न0 186 मे वादीगण के कब्जे काश्त मे स्वयं या अन्य किसी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.11.10 13:57:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

मदालखत नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानो का सही रूप से अवलोकन नही किया है एवं गलत प्रकार से आदेश दिया जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नही दिया कि वादी/अपीलांट का वाद पत्र बाबत हस्तकरारहक एवं हुक्मइम्तनाई स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती इन्द्राज का पेश किया था जो जबाव एवं तलबी मे चल रहा था। प्रतिवादीगण ने कोई जबाव पेश नही किया एवं आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जो चलने योग्य ही नही था। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नही दिया कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र एक विशेष परिस्थितियो मे ही गहनता से सुनकर आदेश दिया है जो चलने योग्य नही है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे मात्र वाद हेतुक;मूल्यांकन,विधि द्वारां वर्णन, दो प्रतियो मे वाद पत्र प्रस्तुत पर मनन किया जाता है। वाद पत्र किस विधि से वर्जित था ऐसा कोई उल्लेख अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे नही दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नही दिया कि मात्र एक ही आधार लेकर निर्णय किया है कि दिनांक 2.5.76 को रहन से वागुजारस्त करने का नामा0 संख्या 95 स्वीकृत हुआ था। उसकी सक्षम न्यायालय मे अपील नही की। यह कोई आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे नही आता है। उक्त नामा0 से कोई प्रभाव वादी/अपीलांट पर नही पडता है उससे कोई खातेदारी अधिकार या कब्जा बाबत कोई अधिकार किसी पक्ष का समाप्त नही हुआ है। जो विधि वर्जित नही कहा जा सकता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.5.22 को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को निरस्त कर वादीगण के वाद पत्र को पुनःसुने जाने हेतु आदेश प्रदान किये जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम करेला मे स्थित भूमि खसरा न0 146 रकबा 0.43 है0 खाता संख्या 83 जमाबंदी सम्वत 2073–76 मे रेस्पो0 के पिता के नाम दर्ज है। उक्त भूमि से वादी/अपीलांट का कोई दू... ...का संबंध नही है। पूर्व मे जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के आदेश की... ...76 को रहन से बागुजास्त करने का नामा0 संख्या 95 स्वीकृत हुआ था। वादी/अपीलांट ... आराजीयात के बाबत खोले गये नामा0 संख्या 95 की किसी भी सक्षम न्यायालय मे अपील प्रस्तुत नही की गई है। वादी/अपीलांट विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त नही है ना ही विवादित आराजीयात का राजस्व रिकार्ड वादी/अपीलांट के नाम नही है। विवादित आराजीयात की खातेदारी रेस्पो0 के नाम दर्ज रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर (राज.)
सत्यमेव जयते

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

है। वादी/अपीलांट द्वारा बिना किसी खातेदारी अधिकार के ही अधिनस्थ न्यायालय मे दावा प्रस्तुत किया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वास सीपीसी 1908 के प्रावधानो के अवलोकन किये जाने एवं उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर विधि के अनुरूप ही अपीलांट/वादी का वाद पत्र विधिक रूप से खारिज किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात ख0न0 146 रकबा 0.43 है0 की खातेदारी के खाता संख्या 83 मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2073–76 मे भूमि रेस्पो0के नाम दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट/वादीगण का कथन रहा किं विवादित आराजीयात पर कब्जा अपीलांट/वादीगण का है परन्तु अपीलांट/वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे विवादित आराजीयात पर कब्जा उनका सिद्व हो सके। विवादित आराजीयात की खातेदारी जरिये नामा0 संख्या 95 से रेस्पो/प्रतिवादी के नाम दर्ज हुई। उक्त नामा0 संख्या 95 की कोई अपील वादी/अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत नही करना स्वयं वादी/अपीलांट ने स्वीकृत किया है। उक्त नामा0 की जानकारी वादी/अपीलांट को पूर्व से ही थी। फिर भी उनके द्वारा उसके विरूद्व कोई अपील सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत नही की गई। चूकि विवादित आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2073–76 मे रेस्पो/प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी 1908 के प्रावधानो के तहत ही वादी/अपीलांट का वाद पत्र विधि से वर्जित होने के कारण एवं वादी/अपीलांट का वाद पत्र सीपीसी के प्रावधान आदेश 7 नियम 11 से प्रभावित होने के कारण वाद पत्र विधि की प्रकिया के तहत ही खारिज किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 44/18 मे पारित निर्णय दिनांक 18.5.22 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.6.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:06 IST
Reason: SelfAttested